

नम्बर व तारीख  
जो इस हुकम की  
में जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तारीख  
में जारी हुए

13/1/78  
पावली (म) वकील दल नगर उदमपिंडी  
के वाद में स्वीकार कर वाद के आरंभ में  
74/0.48, 71/0.33 20 वरिष्ठ 70 वरिष्ठ लक्ष्य 4031  
के उल्लिखित उद्देश्य रिपोर्ट "55 अ-अ" वाद में  
अहकाम प्रकटित किया जाता है लक्ष्य 4031 के  
'55 अ-अ' के उल्लिखित पक्षियों के नाम राज मय  
रिपोर्ट में 5 अंक 5 अंक अहकाम 5245 किया जाये  
'55 अ-अ' प्रकटित व पक्षी उड़ी मय अति नर  
महेश्वर 240 केम वेंडू के सिद्धि में उमर 245  
में उल्लिखित वरिष्ठ लक्ष्य रिपोर्ट में वसुधायी महेश्वर  
पावली में अहकाम प्रकटित उड़ी जाये  
पावली में अहकाम सुभाष में नम्बर 5  
वाद में पावली निज लक्ष्य नगर में 21/1/78

सहायक कलक्टर (फा. 0. 0.)  
मुण्डावर (बैरथल-विजयरा)

फा. 0.  
विज. 0.

0)  
)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0  
पीठासीन अधिकारी :- सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या  
03 / 2024

दायर दिनांक  
12.01.2024

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
13.01.2026

बसुनवान

1. अशोक पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0। :- वादी

बनाम

1. कुलदीप पुत्र मोहनलाल
2. धनसिंह पुत्र सुरजन सिंह जातियान जाट निवासीयान बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. राजवीर चौधरी पुत्र साधूराम जाति जाट निवासी साहब जोहडा, शक्ति नगर, विजय मन्दिर रोड, अलवर।
4. सन्तरा देवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
6. श्रीमान उप पंजीयक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा तकासमा मय हु0 ई0 दवामी  
अन्तर्गत धारा 53, 188

:- अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री सीताराम चौधरी एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री गंगाराम पटेल एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 13.01.2026 को सृष्टि जैन उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित आराजी खसरा नम्बर 74/0.48, 91/0.33 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में "प्रदर्श-अ" के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को पृथक पृथक अमल दरामद, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)  
सहायक कलक्टर (फा.दे.0)  
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

वाद संख्या  
03/2024

दायर दिनांक  
12.01.2024

प्रारम्भिक पर्चा डिक्री दिनांक  
20.08.2025

बउनवान

- 1 अशोक पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा, राज0 :- वादी

बनाम

- 1 कुलदीप पुत्र मोहनलाल  
2 धनसिंह पुत्र सुरजनसिंह जातियान जाट निवासीयान बडली की ढाणी तह0 मुण्डावर  
जिला खैरथल-तिजारा, राज0  
3 राजवीर चौधरी पुत्र साधूराम जाति जाट निवासी साहब जोहडा, शक्ति नगर, विजय  
मन्दिर रोड, अलवर  
4 सन्तरादेवी पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी नांगल बावला तह0 मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा, राज0  
5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला  
खैरथल-तिजारा, राज0  
6 श्रीमान उप पंजीयक महोदय मुण्डावर खैरथल-तिजारा, राज0


:- प्रतिवादीगण

दावा:- तकासमा मय हु0 ई0दवामी  
अर्न्तगत धारा 53 व 188 राज0 काश्त0 अधि0

:- प्रारम्भिक पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री सीताराम चौधरी एडवोकट व प्रतिवादी की ओर से श्री गंगाराम पटेल की उपपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 20.08.2025 को श्रीमती सृष्टि जैन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को प्रारम्भिक पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बडली तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा में स्थित भूमि आराजी ख0 नं0 74/0.48, 91/0.33 है0 में वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो कि वे विभाजन प्रस्ताव अच्छा से अच्छा व बुरा से बुरा एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 को

  
मुण्डावर खैरथल-तिजारा

दृष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 24.09.2025 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवाये।

यह प्रारम्भिक पर्चा खिन्नी आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
सहायक कलेक्टर (फांटेड)  
(सृष्टि मुण्डावर खैरथल-तिजारा)

सहायक कलेक्टर

मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0